संख्या- 363 /2026/1340/नौ-9-2026-001-E-1762279

प्रेषक,

चन्द्रपाल सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक १५ अक्टूबर, 2026**

विषय- नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू0 15.00 करोड़ (रू0 पंद्रह करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र संख्या-लेखा /281/ न0प्र0शो0स0/ 2026-27, दिनांक- 25.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु धनराशि रू0 15.00 करोड़ (रूपये पंद्रह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के लेखा शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-003-प्रशिक्षण-03-नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ के सापेक्ष निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि रू0 15.00 करोड़ (रूपये पंद्रह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

(1) उक्त धनराशि को निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा कोषागार से आहरित कर नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के बैंक खाते में रखी जायेगी।

(2) निदेशक, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित, शासन के वित्त विभाग तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त

नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(7) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 15.00 करोड़ (रूपये पंद्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2070000030300 नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by CHANDRA PAL SINGH
Date: 15-10-2026 14:30:18

(चन्द्रपाल सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 363 **/2026/1340/नौ-9-2026-001-E-1762279, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

ह0,
चन्द्रपाल सिंह
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A009-20262027-Reapp-1762279 -UTRI

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के मानक मद-42 हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217801910500 (नगर निगमों के उत्कृष्ट नवीन कार्यालय भवन का निर्माण)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	2,28,12,50,000 रुपये दो अरब अट्ठाईस करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र	2,28,12,50,000 रुपये दो अरब अट्ठाईस करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र	-14,95,00,000 रुपये चौदह करोड़ पंचानबे लाख मात्र	14,95,00,000	2,13,17,50,000	2026-2027

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध/विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2070000030300 (नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान)	42 (अन्य व्यय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	14,95,00,000 रुपये चौदह करोड़ पंचानबे लाख मात्र	14,95,00,000	15,00,00,000	2026-2027

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक- 2217801910500 (नगर निगमों के उत्कृष्ट नवीन कार्यालय भवन का निर्माण) में धनराशि उपलब्ध है।

(2) स्तम्भ-8 में अंकित लेखाशीर्षक- 2070000030300 (नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान) के मानक मद- 42 में धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

संख्याः आर.ई.संख्या–बजट-1-100, दिनाँक 15.09.2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक।

संख्या : आर.ई.संख्या–बजट-1-100, दिनॉक 15.09.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

5- सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

8- कम्प्यूटर सेल/गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राजेश्वरी प्रसाद)

उप सचिव।